[illegible]य उपखण्ड अधिकारी किशनगढबास (खैरथल–तिजारा)

प्रार्थना पत्र के अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट

निजरली बनाम आजाद वगै0

हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	आज यह प्रार्थना पत्र के अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा वकील प्रार्थी ने दावे के साथ पेश किया। दावा वो प्रार्थना पत्र को पढा गया। वकील वादी / प्रार्थी को एक पक्षीय सुना गया। बहस वकील प्रार्थी वो प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात वो शपथ पत्र प्रार्थी से प्रार्थी का प्रथम दृष्टया मामला प्रतीत होता है। सुविधा सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में है नापूर्ति क्षति भी प्रार्थी को ही है। अतः प्रतिवादीगण (अप्रार्थीगण) को जर्ये अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 24.03.2025 तक इस अमर से पाबन्द किया जाता है कि अप्रार्थीगण आराजी हाल ख0 नं0 434 रकबा 1.3800हे0, 554 रकबा 0.9200हे0, 555 रकबा 1.2600हे0, 724 रकबा 0.2800हे0 किता 4 रकबा 3.8400हे0 वाके ग्राम शेखपुर तहसील किशनगढबास पर विवादित आराजी पर मौका एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें। क्योंना यह आज्ञा ताफैसला दावा स्थाई कर दी जावे जो भी आपत्ति हो हाजिर अदालत होकर उत्तर पेश करे, प्रार्थी इस अमर का रजिस्टर्ड ए.डी.तलबाना पेश करे। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर होकर दिनांक 24.03.2025 को पेश हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी किशनगढबास (खैरथल–तिजारा) 20/3/25 पत्रावली पेश हुई। पी.ओ. साहब अन्य कार्य में व्यस्त है/बाहर पधारे हैं।	

आवश्यक के अधीन उप आइन्दा दिनांक 12/5/25 को पेश हो। [illegible] में [illegible] पेश हुआ

रीडर

12/5/25 पत्रावली पेश हुई। पी.ओ. साहब अन्य कार्य में [illegible] बाहर पधारे हैं। [illegible] दिनांक 21/5/25 को पेश हो।

रीडर

21/6/25 वकील पक्षकारान उप0। वास्ते बहस TI दिनांक 02/6/25 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़बास (खैरथल--तिजारा)

02/06/25 पत्रावली पेश हुई। पी.ओ. साहब अन्य कार्य में व्यस्त हैं/बाहर पधारे हैं। उपखण्ड के अग्रिम उप. आयन्दा दिनांक 9/6/25 को पेश हो।

9/6/25 वकील पक्षकारान उप0। पक्षकारान बहस TI को मौका चाहि आयन्दा दिनांक 16/6/25 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़बास (खैरथल--तिजारा)

16/6/25 पत्रावली पेश हुई। पी.ओ. साहब अन्य कार्य में व्यस्त हैं/बाहर पधारे हैं। उपखण्ड के अग्रिम उप. आयन्दा दिनांक 23/6/25 को पेश हो।

23/6/25 वकील पक्षकारान उप0। बहस TI सुनी गई। वास्ते आदेश दिनांक 14/07/25 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़बास (खैरथल--तिजारा)

14/07/25 पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उप0। वकील पक्षकारान को प्रा0पत्र 212 पर सुना गया। वकील वादी ने विवादित आराजी का तकासमा नहीं हो जाने तक स्थग्न आदेश यथावत् रखने का निवेदन किया। वकील प्रतिवादी ने कथन किया की प्रतिवादीगण अपनी हिस्से की आराजी पर काबिज है जिस संबंध में एक अनुबंध पत्र दिनांक 25.01.2008 भी तस्दीक किया गया है। अतः विवादित आराजी पर अपने हिस्सेनुसार काबिज रहने पर वादीगण हम प्रतिवादीगण को पाबन्द करने के अधिकारी नहीं है। अतः स्थग्न आदेश खारिज किया जावे।

वकील पक्षकारान की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में संलग्न अनुबंध पत्र के अनुसार विवादित आराजी में सरकारी सडक से आराजी में स्थित कुए तक 8 फुट का रास्ता सभी काश्तकारो द्वारा आवगमन हेतु छोडा गया है तथा कुआ के लिए 2 बिस्वा भूमि शामलात में छोडी जाकर बंटवारा किया गया है। चूंकि विवादित आराजी में निर्मित कुआ तक की भूमि का बंटवारा पक्षकारान द्वारा आपसी सहमति से किया जा चुका है तथा वकील पक्षकारान ने भी सरकारी सडक से कुआ तक की भूमि पर से स्थग्न आदेश हटाये जाने पर सहमति जाहिर की है। अतः विवादित आराजी खसरा नं0 434 रकबा 1.3800हे0 में निर्मित रास्ता जो सरकारी सडक से कुए तक जाता है तक स्थगन आदेश को निरस्त किया जाता है तथा शेष स्थगन आदेश ताफैसला दावा स्थाई किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर संलग्न मूलवाद रहे।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़बास (खैरथल–तिजारा)

Scanned with OKEN Scanner